उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर

//आदेश//

क्रमांक D/2948 / जबलपुर, दिनांक 12/08/2021

श्री दिलीप कुमार गुप्ता, सेवानिवृत्त एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (न्या.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को अधिवार्षिकीय आयु पूर्ण करने के उपरांत दिनांक 31.05.2021 को सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय भोपाल के परिपत्र क्र. सी–3–12/2011/3/एक भोपाल, दिनांक 03.09.2011 की कंडिका 8 में निहित निम्न शर्तों के अधीन जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट के रिक्त पद के विरूद्ध आगामी 06 माह अथवा जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट की नियमित भर्ती होने की अवधि तक (जो भी पहले हो), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर की स्थापना पर संविदा नियुक्ति प्रदान की जाती है :–

1. संविदा सेवा में नियुक्ति के लिए अवधि 06 माह अथवा जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट की नियमित भर्ती होने तक (जो भी पहले हो) होगी।
2. संविदा सेवा में प्रतिमाह एकजाई वेतन देय होगा ।
3. एकजाई वेतन निर्धारित करने के लिए सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त कुल वेतन में से पेंशन की राशि घटाकर जो राशि आयेगी वह राशि संविदा वेतन के रूप में देय होगी। इस संविदा वेतन पर किसी प्रकार का मंहगाई भत्ता या अन्य भत्ते देय नहीं होंगे।
4. पेंशन पृथक से प्राप्त करने की पात्रता होगी तथा पेंशन पर देय राहत की पात्रता होगी।
5. संविदा नियुक्ति के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
6. संविदा नियुक्ति के दौरान शासकीय आवास गृह के आवंटन/आधिपत्य की पात्रता नहीं होंगी, उन्हें केवल पात्रतानुसार गृह भाड़ा भत्ता देय होगा। संविदा नियुक्ति के समय यदि उसके नाम से शासकीय आवास आवंटित होगा या आधिपत्य में होगा तो उसे शासकीय आवास रिक्त करने का प्रमाण प्रस्तुत करने पर ही संविदा नियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण कराया जाएगा।
7. अस्थाई शासकीय सेवकों के समान अवकाश की पात्रता होगी।
8. यात्रा भत्ते की पात्रता उसी प्रकार होगी जो कि सेवानिवृत्ति के तत्काल पूर्व थी।
9. संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों पर मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 लागू होंगे।
10. संविदा नियुक्ति आदेश जारी करने के दिनांक से 45 दिन तक प्रभावशील होगा। इस अवधि में यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया तो संविदा नियुक्ति का आदेश स्वतः प्रभावशून्य हो जायेगा।

(राजेन्द्र कुमार वाणी) 11.8.21
रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक D/2949 / जबलपुर, दिनांक 12/08/2021

प्रतिलिपि :-

1. रजिस्ट्रार प्रशासन/न्यायिक 1, 2/डी. ई./आई.एल./ई/एक्जाम एवं लेबर ज्यूडीशियरी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
2. एस.पी.एस.ए.(एस.ए.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर आदेश की प्रतिलिपि उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाईड पर अपलोड करवाने हेतु,
3. कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, जबलपुर,
4. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (लेखा), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर
5. असिस्टेंट रजिस्ट्रार (स्था.) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर
6. एड.ऑफिसर(न्या.)/लेखा/बजट/पेंशन/गोपनीय, उच्च न्यायालय म.प्र, जबलपुर,
7. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के सेक्रेटरी टू द जजेस, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
8. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार सतर्कता/न्यायिक/(परीक्षा) महोदय के सेक्रेटरी टू द जजेस, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
9. सहायक स्थापना/अवकाश/सेवा पुस्तिका/वेतन पत्रक/वेतन निर्धारण, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
10. उपस्थिति लिपिक उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
11. श्री दिलीप कुमार गुप्ता, सेवानिवृत्त एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (न्या.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(प्रियदर्शन शर्मा)
11/8/2021
रजिस्ट्रार (प्रशा.)